न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–34/2018 (2018/00034)223/किशनगढ़

1. सोहनलाल पुत्र रोडू, जाति रेगर, निवासी आजाद नगर देवडूंगरी मदनगंज जिला अजममेर जरिये मुख्तयारआम बगदाराम पुत्र बोफाराम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास ग्राम सूर्यावसास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर ।
2. भागचंद पुत्र रोडू, जाति रेगर, नि0 नया शहर किशनगढ़ हाल नि0 127, जटिया कॉलोनी, वार्ड नं0 39, ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. गलकूदेवी पुत्रही रोडू पत्नि स्व0 शंकरलाल, जाति रेगर, निवासी नया शहर, किशनगढ़ हाल निवासी 363, औद्योगिक नगर मु0 पो0 बबाईचा, तहसील व जिला अजमेर ।
4. गणपत पुत्र भोमाराम,
5. गुलाबचंद पुत्र भोमाराम,
   दोनों जाति रेगर, नि0 बड़ा पीर रोड़, डिग्गी बाजार, अजमेर ।
   प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 जरिये मुख्त्यारआम दिलीप कुमार पुत्र जगदीश चंद जाति ढोली, निवासी ग्राम सराणा, तह0 व जिला अजमेर ।
6. मैनादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद, जाति रेगर, नि0 बड़ा पीर रोड़, डिग्गी बाजार, अजमेर जरिये मुख्त्यारआम गिरीराज मौर्य पुत्र खींवाराम, जाति रेगर, नि0 वार्ड नं0 34, अम्बेडकर स्कूल रोड़, रेगर मौहल्ला, नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. खिया पुत्र घीसा (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– मदनलाल पुत्र खिया (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1/1–किरण मौर्य पुत्र मदनलाल,
   1/1/2–पुष्पादेवी पुत्री मदनलाल,
   दोनों जाति रेगर, नि0 नया शहर रेगर मौहल्ला, कोलियों की मीरी के पास, किशनगढ़ जिला अजमेर ।
   1/2– चौथमल पुत्र खिया,
   1/3– नेमीचंद पुत्र खिया,
   1/4– गिर्राज पुत्र खिया,
   1/5– भंवरलाल पुत्र खिया,
   समस्त जाति रेगर, नि0 पुराना शहर किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान आवासन मण्डल, किशनगढ़, जरिये प्रबंधक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.1995, वाद संख्या 42/1993, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़.

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप विश्नाई, वकील अपीलांट संख्या 1.
2. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांट संख्या 2 से 6.
3. श्री उमेश कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 1/2 से 1/5
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.
5. रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/1/2 व रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 11.01.2019

1. हस्तगत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ (अधी0न्याया0) द्वारा वाद संख्या 42/1993 उनवानी खिंया बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.1995 के विरूद्ध राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 223 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।
2. प्रकरण के संक्षेप में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशनगढ़ हाल राजस्व ग्राम मदनगंज के साबिक खसरा नम्बर 405 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की भूमि प्रार्थी/अपीलांट के पिता रोडू जाति रेगर को भूमि पर लगातार काबिज काश्त होने के आधार पर जरिये पत्रावली नम्बर 240/1976 में किशनगढ़ तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नियमन सिफारिश के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति किशनगढ़ जिसमें कोरम पूर्ण था के द्वारा सर्वसम्मति से प्रार्थी/ अपीलांट के पिता रोडू पुत्र बोदू के हक में खसरा नम्बर 405 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नियमन किये जाने के आदेश दिनांक 06.12.1978 को पारित किये गये। प्रार्थी/अपीलांट के पिता व वर्तमान में प्रार्थी/अपीलांट अपने परिवार सहित विवादित आराजी पर लगातार काबिज काश्त चला आ रहा हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से अंकन दर्ज होने से रह गया जिसकी पालना हेतु मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.07.2017 में उक्त नियमन आदेश की पालना में तहसीलदार, किशनगढ़ को निर्देश प्रदान किये गये कि वे आवंटी के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति किशनगढ़ के नियमन आदेश दिनांक 06.12.1978 की पालना में नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में नियमन आदेश की पालना करते हुए गैर खातेदारी/ खातेदारी का अंकन विधिक रूप से दो माह की अवधि में करें।

   उक्त आदेश के पश्चात प्रार्थी/अपीलांट द्वारा तहसीलदार, किशनगढ़ के समक्ष पालना हेतु चाराजोही की तब प्रार्थी/अपीलांट को पता चला कि खसरा नम्बर 405 की भूमि खिंया पुत्र घीसा ने अपने पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ से दिनांक 26.09.1995 को एक तरफा में डिक्री करवा ली और प्रार्थी/अपीलांट की नियमन शुदा भूमि एक तरफा में अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि खसरा नम्बर 405 की 18 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 662 रकबा 8 बीघा, 663 रकबा 8 बीघा, 664 रकबा 10 बिस्वा, 665 रकबा 16 बिस्वा, 674 रकबा 11 बिस्वा, 675 रकबा 15 बिस्वा, 676 रकबा 1 बिस्वा बने हैं। इसमें से खसरा नम्बर 662 में से 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 664, 665, 674, 675, 676 की भूमि राजस्थान आवासन मण्डल राज.,किशनगढ़ के नाम आवंटित होकर उनके खाते में दर्ज हो गई और शेष खसरा नम्बर 662 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 663 रकबा 8 बीघा कुल 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि शेष बची जो अपीलार्थी के पिता को नियमन शुदा थी और जिस पर अपीलार्थी एवं उसका परिवार काबिज काश्त चला आ रहा हैं। यह भूमि एक तरफा में रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्य छुपाकर डिक्री के जरिये अपने नाम दर्ज करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.1995 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।
4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए दौराने बहस जाहिर किया कि आवंटन सलाहकार समिति तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा प्रार्थी के पिता के पक्ष में साबिक खसरा नम्बर 405 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा पर सम्वत

2020 से 2035 तक लगातार काबिज काश्त होने व फसल काश्त करने के आधार पर खसरा नम्बर 405 की बिला नाम की भूमि पर रोडू पुत्र बोदू रेगर के पक्ष में नियमन किये जाने की सिफारिश की जिसके आधार पर नियमन की पत्रावली संख्या 240/1976 बउनवान सरकार बनाम रोडू पुत्र बोदू रेगर निवासी किशनगढ मुर्तिब की गई और इसे दिनांक 06.12.1978 को बमुकाम किशनगढ़ आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखी गई जिस पर पत्रावली का विधिवत अवलोकन करने के पश्चात तहसीलदार, किशनगढ़ की रिपोर्ट एवं सिफारिश एवं खसरा परिवर्तनशील जमा निर्धारण तथा अस्थायी कृषि/गैर मुश्तकिल काश्त के दस्तावेज की विधिवत जॉच करने के पश्चात आवंटन सलाहकार समिति ने भूमि नियमन किये जाने के आदेश दिनांक 06.12.1978 को पारित कर दिये। इस प्रकार वह उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार हो चुका हैं। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी भूमि पर खिंया की काश्त किस प्रकार किया जाना संभव है तथा अपने पूर्व नियमन के आदेश की सिफारिश के विपरीत किस प्रकार वादी के दावे को बिना कब्जा के अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने की डिक्री पारित की है।

इसके साथ ही अपनी बहस में अपीलांट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि राज0काश्त0अधि0 में धारा 13, 15 व 19 के प्रावधानों के तहत ही खातेदारी प्रदान की जा सकती है, अन्य किसी आधार से नहीं । कब्जे अथवा एडवर्स पजेशन पर खातेदारी प्रदान किये जाने के प्रावधान नहीं है । अपनी बहस के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल की वृहद् पीठ के निर्णय 2011 आर0आर0टी0 (2) पेज 721 जगदीश बनाम श्री सीताराम व अन्य तथा पांच सदस्यों की वृहद् पीठ द्वारा पारित निर्णय 2015 आर0बी0जे0 पेज 595 सरजू राव बनाम अमृतलाल की प्रति प्रस्तुत की । बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में चार तनकीयात कायम की है जिनमें तनकी संख्या 02 इस आशय की थी कि ''आया वाद पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 405 पुराना जिसके नये खसरा नम्बर 662 व 663 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा पर वादी 70–80 वर्षो से काबिज हैं एवं खातेदार काश्तकार हो चुका हैं ?''

इस तनकी को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे यह साबित होता हो कि खिंया वल्द घीसा रेगर पिछले 70–80 वर्षो से लगातार उक्त 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने केवल मात्र मौखिक गवाही के आधार पर इस तनकी का निर्णय '' यह कहते हुए वादी के पक्ष में कर दिया कि वादी के गवाहो व बयानों की प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की हैं और ना ही प्रतिवादी द्वारा अपनी ओर से विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं'' जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है उसमें भी पूरी 15–16–00 बीघा भूमि पर काश्त दर्ज नहीं है ।

उक्त तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी का था किन्तु इसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा गवाहों की जिरह नहीं करने के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित करने का आधार लिया है जबकि इससे साबित करने हेतु वादी द्वारा अपना कब्जा दस्तावेजी साक्ष्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से अर्थात सम्वत 2012 से पूर्व से कृषक अथवा उपकृषक की श्रेणी में साबित करने पर ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् धारा 15 के अनुसार खातेदारी की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी बनता था किन्तु इसके विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने खिंया को खातेदार घोषित किया है जो नियम विरूद्ध एवं मनमाना निर्णय व डिक्री होने से निरस्त योग्य हैं। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष अपीलार्थी को पक्षकार के रूप से संयोजित नहीं किया गया है इसलिए अपीलार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी ।

वर्तमान में जब राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में प्रार्थी के नाम अंकन की जॉच की गई तब संबंधित तहसीलदार ने बताया कि मौके पर आपकी भूमि अन्य व्यक्ति के नाम डिक्री से दर्ज हो चुकी हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.1995 को निरस्त फरमाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट/वादी के अंकन को विलोपित कर अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/वादी का वादग्रस्त भूमि पर सम्वत 2010 से भी पूर्व से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जिसकी पुष्टि खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2010 से 2045 तक की प्रति प्रस्तुत की है जो प्रदर्श 3 से प्रदर्श 6 है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा था। इसलिए वादी के पक्ष में तहसीलदार, किशनगढ़ ने भी दिनांक 21.06.1982 के आदेश से नियमन की सिफारिश की थी तथा इसी प्रकार तहसीलदार, किशनगढ़ ने मुकदमा नम्बर 76/1985 के निर्णय दिनांक 12.02.1985 में भी वादी के पक्ष में नियमन की सिफारिश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तनकीयात कायम कर, स्वतंत्र गवाहों के बयानो एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर द्वारा प्रतिपादित निर्णय आर.आर.डी. 1991 पेज 1 के आधार पर रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी बाबत् खातेदारी अधिकार दिये हैं जिसमें किसी प्रकार त्रुटि कारित नहीं हैं । अपीलांटस का विवादित आराजी से किसी प्रकार का लेना–देना नहीं हैं तथा कब्जे बाबत् खसरा परिवर्तनशील या 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किये केवल तहसीलदार, किशनगढ़ के नियमन आदेश दिनांक 06.12.1978 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता हैं जो विधि सम्मत नही हैं। अपीलांटस ने यह अपील 23 वर्षो के बाद में की है जो भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा अपील में मियाद बाहर प्रस्तुत करने के संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये गये हैं केवल मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 को आधार माना है जो विधि सम्मत नही है। आर.बी.जे.(15) 2008 पेज 674 में यह प्रतिपादित किया गया है कि मियाद बाहर होने के संतोष जनक कारण नहीं हो तो मियाद कन्डोन नहीं की जा सकती हैं। इस प्रकार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने एवं मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है इसलिए खारिज की जावें।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का अवलोकन किया । रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र पर बहस पर मनन किया । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 42/93 में निर्णय व डिक्री 26.9.1995 को पारित की गई है । जबकि अपीलार्थी के पिता को खसरा नंबर 405 की 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 6.12.1978 को नियमन की जा चुकी थी किन्तु 1993 में संस्थित वाद में रेस्पो0 ने अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया तथा बिना पक्षकार बनाये ही अपीलार्थी को नियमनशुदा भूमि की खातेदारी प्राप्त कर ली। आगे कथन किया कि अपीलांट को इस वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सका जिससे वह वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इस आधार पर उन्होंने विवादित आराजी में उनका हित निहित होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

विपक्षी अभिभाषक द्वारा इस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का कोई जवाब पेश नहीं किया गया तथा सीधे ही बहस की । बहस के दौरान उन्होंने जाहिर किया कि विवादित आराजी बाबत् उनके पक्ष में सही रूप से न्यायालय ने डिक्री पारित की है । अपीलार्थी का इस भूमि पर कोई हक/हित नहीं है । अतः आवेदन खारिज किया जावे ।

रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र पर गौर किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 तथा नियमन आदेश दिनांकित 6.12.1978 एवं मान0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.7.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 405 की 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में नियमन रेस्पो0/वादी के वाद पत्र के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.1995 से पूर्व में हो चुका था ऐसे में अपीलार्थी प्रकरण में ग्रसित एवं प्रभावित पक्षकार साबित होने से धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इसके पश्चात् न्यायालय हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधि0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझता है ।

अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में उल्लेख किया कि प्रार्थी विवादित आराजी पर नियमन आदेश दिनांक 6.12.1978 से खातेदार काश्तकार है किन्तु विपक्षी रेस्पोडेंट द्वारा केवल तहसीलदार को पक्षकार बनाकर तथा उन्हें पक्षकार नहीं बनाते हुए एकतरफा डिक्री दिनांक 26.9.1995 को प्राप्त कर ली तथा ग्रसित पक्षकार होते हुए भी उन्हें पक्षकार संयोजित नहीं किया जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके । अतः उन्हें डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी । मान0 राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 27.7.2017 की पालना में प्रार्थी के नाम अंकन की जांच की गई तब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी नियमनशुदा भूमि रेस्पो0 के नाम डिक्री हो चुकी है । जानकारी के तत्काल पश्चात् डिक्री की नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की जा रही है । आगे उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी नहीं की है तथा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे । प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है । अंत में उन्होंने अपील में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने की प्रार्थना की ।

रेस्पो0/अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा सीधे ही बहस की । दौराने बहस रेस्पो0 के अभिभाषक ने जाहिर किया कि अपील भारी मियाद बाहर है, 23 वर्षो के असाधारण विलंब से पेश की गई है तथा विलंब के संतोषप्रद कारण भी नहीं बताये है, केवल मा0 राजस्व मण्डल के आदेश दिनांकित 27.7.2017 को आधार बनाया है जो कि विधिसम्मत् नहीं है । आगे उन्होंने आर0बी0जे0 (15) 2008 पेज 674 की नजीर पेश की जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि मियाद बाहर होने के समुचित कारण नहीं हो तो मियाद कण्डोन नहीं की जा सकती है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा इस आधार पर अपील को भी खारिज करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया । उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । उपलब्ध रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलार्थी के पिता के पक्ष में सन् 1978 में नियमित की जा चुकी थी । इस तिथि से वे विवादित आराजी में ग्रस्त एवं प्रभावित पक्षकार हो गये थे क्योंकि उनका हित इससे निहित हो चुका था किन्तु विपक्षी/रेस्पो0 ने सन् 1993 में दावा पेश करते समय उन्हें (अपीलार्थी) को पक्षकार संयोजित नहीं किया तथा उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही अपने पक्ष में डिक्री पारित करवा ली । इससे जाहिर है कि प्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके । इससे उनके उनके हितो पर

विपरीत रूप से प्रभाव पड़ा है। रेस्पो0/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के परिसीमन प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के प्रतिरोध में कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही जवाब पेश किया है । चूंकि अपीलार्थी को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था इसलिय उन्हें डिक्री की जानकारी पूर्व में होना संभव नहीं था। धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी को ग्रसित एवं व्यथित पक्षकार मानते हुए सुनवाई के अवसर हेतु अनुमत किया जा चुका है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का पालन किया जाना चाहिये तथा बिना सुने उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । न्यायालय का अभिमत है कि प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायहित में है । अतः परिसीमा के बिन्दु पर अपील खारिज करना न्यायोचित नहीं होगा । अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर विलंब किया जाना प्रकट नहीं होता है तथा प्रार्थी ने अपने आवेदन में विलंब हेतु जो कारण बताये है वे पर्याप्त एवं संतोषप्रद है । अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 जानकारी से अंदर मियाद मानते हुए न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

7. तत्पश्चात् अपील के गुणावगुण पर उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट जाहिर है कि अपीलार्थीगण के पिता को आराजी साबिक खसरा नंबर 405 में से 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 6.12.1978 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमन की गई थी । नियमन आदेश से यह स्पष्ट है कि यह मुकदमा नंबर 240/76 में दिनांक 6.12.1978 को जारी किया गया था । तहसीलदार की रिपोर्ट एवं सिफारिश के आधार पर संवत् 2020 से 2035 तक कब्जा काश्त होने एवं दिनांक 1.7.1975 से पूर्व का कब्जा होने व वादग्रस्त भूमि नगर पालिका सीमा से बाहर होने के आधार पर नियमन आदेश जारी किया है ।

इस नियमन आदेश दिनांक 6.12.1978 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु मान0 राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.7.2017 द्वारा तहसीलदार, किशनगढ़ को 2 माह में पालना करने के निर्देश भी प्रदान किए गए है।

उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण आराजी के प्रभावित पक्षकार थे तथा उन्हें दावे में रेस्पो0 द्वारा पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं किये जाने से उन्हें सुनवाई हेतु उचित अवसर प्रदान नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी का धारा 96 जा0दी0 का आवेदन एवं धारा 5 परिसीमा अधि0 का आवेदन भी स्वीकार किया गया है ।

8. द्वितीय अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पारित डिक्री को भी राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रावधानों के विपरीत बताया है । इस संबंध में 2011 आर0आर0टी0 (2) पेज 721 जगदीश बनाम सीताराम व अन्य, 2018 आर0बी0जे0 पेज 595 सरजूराम बनाम अमृतलाल आदि की प्रति पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया है । इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा एडवर्स पजेशन से खातेदारी देने के प्रावधानों को सही बताते हुए अपने समर्थन में 1991 आर0आर0डी0 पेज 1 की नजीर पेश की तथा साथ ही 2018 आर0बी0जे0 पेज 595 सरजूराम बनाम अमृतलाल के वृहद् पीठ के निर्णय के आधार पर इसे पूर्व के निर्णयों पर बाध्यकारी नहीं होने के आधार पर निरस्त करने का निवेदन किया है ।

9. इस संदर्भ में रिकार्ड अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा एडवर्स पजेशन की डिक्री एवं आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 24.1.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा मान0 राजस्व मण्डल की वृहद् पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 30.8.2018 को पारित किया गया है । इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल की

वृहद् पीठ द्वारा पारित निर्णय से पूर्व हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में लंबित थी ।

मान0 मण्डल की वृहद् पीठ द्वारा अपने निर्णय 2018 आर0बी0जे0 पेज 595 सरजूराम बनाम अमृतलाल में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि '' लंबित मामले 2011 आर0आर0टी0 (2) पेज 721 श्री सीताराम केस के आधार पर निर्णित किये जावे । चूंकि हस्तगत अपील वृहद् पीठ के फैसले के पूर्व से लंबित चली आ रही है, अतः उक्त निर्णय के प्रावधान हस्तगत अपील पर भी लागू होते है ।

उक्तानुसार अपीलार्थी के विवादित आराजी में हित निहित होने के बावजूद पक्षकार संयोजित नहीं कर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से उनके हित विपरीत रूप से प्रभावित होना जाहिर है । नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार को सुनकर ही निर्णय किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर निर्णित किया गया है। इस बाबत् मान0 राजस्व मण्डल की वृहद् पीठ द्वारा ऊपर वर्णित निर्णय भी पारित किया जा चुका है जिसमें प्रतिकूल कब्जे बाबत् संपूर्ण स्थिति स्पष्ट कर लंबित प्रकरणों में भी प्रावधानों का लागू होना अभिनिर्धारित किया गया है । समुचित न्याय निर्णयन हेतु आदेश पारित करते समय इन प्रतिपादित सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना न्यायहित में उचित है ।

10. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उपरोक्तानुसार विधिक त्रुटियों के कारण यथावत् रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है ।

11. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.1995 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 11.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर